...काम

बाबूलाल

...त रूप से	विशेष वि...
अदालत नहीं आने ... लगा. 6 के विरुद्ध ... वाही अमल में लाई ... ी वास्ते साक्ष्यवादी ... ०७/२४ को पेश हो।	
...ई। वादी अधिवक्ता ... मंदिर की साक्ष्य के समर्थन ... ली मदनलाल पुत्र स्व. ... कैलाश चन्द शर्मा पुत्र गैंदीलाल ... त्र श्रीनारायण के शपथ पत्र ... शामिल मिसल है। वादी ... पेश नहीं करना चाहते है अतः ... ाक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली ... िम बहस दिनांक 30/07/2024 ... हो।	
...हुई। वकील वादी ... स्थित। पत्रावली पूर्व ... दिनांक 24/9/24	
...ी पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अन्य ... वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने ... ण कार्यवाही नहीं की जा सकी। ... आगामी दिनांक 15/11/24 ... श हो।	

फर्द अहकाम

मंदिर श्री सीतारामजी बनाम बाबूलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 56/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/11/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 19/12/24 को पेश हो।	
19/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/12/2024 को पेश हो।	
26/12/24	पत्रावली ... वकुलाय द्वारा ... कार्य ... के कारण कार्यवाही नहीं ... की जा सकी ... आगामी दिनांक 30/12/24 को पेश हो।	
30/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन करने के उपरान्त वादी मन्दिर श्री सीताराम जी शाश्वत नाबालिग का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 लगा 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया जो इस आदेश का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला–जयपुर	

(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर :- 56/2024
जीसीएमएस नम्बर :- 2024/25

1. मन्दिर श्री सीताराम जी शाश्वत नाबालिग विराजमान ग्राम नांगल बोहरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर जरिये पुजारी मदनलाल पुत्र स्व. श्री नाथूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नांगल बोहरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र पेमा
2. गंगासहाय पुत्र महादेव
3. चिरंजीलाल पुत्र महादेव
4. रमेश पुत्र महादेव
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम बैरसी तहसील दौसा, जिला दौसा।
5. श्योराम पुत्र स्व. रेवड, जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगल बैरसी, तहसील दौसा, जिला दौसा।

– प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

– तरतीबी प्रतिवादी

<u>दावा बाबत निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

डिक्री दिनांक 30.12.2024

वादी मंदिर जरिये पुजारी मदनलाल का दावा बहक वादी मन्दिर विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2075–2078 राजस्व ग्राम नांगल बोहरा, पटवार हल्का नांगल बोहरा, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र टहटडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 113 पुराना 113 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6 कुल किता 8 कुल रकबा 5.0959 हैक्टेयर में वादी मंदिर जरिये पुजारी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 किसी भी प्रकार की कोई बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान उत्पन्न करने से निषेद्ध रहे तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे तथा वादी मंदिर जरिये पुजारी द्वारा खसरा नम्बर 276 रकबा 0.0379 हैक्टेयर में बने चाह से डीजल इंजिन व जनरेटर से वादग्रस्त भूमि की सिंचाई इत्यादि करने में किसी भी प्रकार की बाधा, व्यवधान, हस्तक्षेप करने से निषेद्ध रखे

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर

तथा वादी मंदिर जरिये पुजारी को वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार से जबरन् बेदखल करने से निषेद्ध रहे तथा मौका स्थिति यथावत् बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे। ....निजी..मुबलिक........................... बाबत...खर्चा ....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक........... ....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त...............................
ओहदा...............................
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर